छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | नवम् सत्र | अंक-09

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2012

(चैत्र-1, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03 एवं 06 से 12 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 01, 04 एवं 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रविन्द्र चौबे, रामदयाल उईके एवं शिवराज सिंह उसारे अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 06 एवं 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री परेश बागबाहरा एवं डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी के स्थान पर क्रमशः श्री अग्नि चंद्राकर एवं श्री धर्मजीत सिंह अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित एवं 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में श्याम एमको इंफास्ट्रकचर प्रा.लि.द्वारा एक किसान की जमीन को अनियमित रूप से क्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुचकुलिया से करमनडीह होकर ग्राम बोड़सरा तक पुल-पुलिया सहित सड़क का निर्माण किये जाने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने अकलतरा तहसील अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में बदलाव किये जाने,

(3) श्री खेदूराम साहू, सदस्य ने छुरिया से कल्लू बंजारी सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता किए जाने, एवं

(4) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संचालनालय, उद्यानिकी द्वारा श्रमिकों को कलेक्टर दर प्रदान न किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

5. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्ययों से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या 17 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-4 पर** महंत श्री रामसुंदर दास **मांग संख्या-5 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, महंत रामसुंदर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-17 पर** महंत श्री रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, (श्री टी.एस.सिंहदेव-अनुपस्थित), (श्री लखमा कवासी-अनुपस्थित), (श्री खेदूराम साहू-अनुपस्थित), श्री राजू सिंह ठाकुर, (डॉ.शिवकुमार डहरिया-अनुपस्थित), सर्वश्री फूलचंद सिंह, अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री नंदकुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री बैदूराम कश्यप।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबधित मांग संख्या 76, स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबधित मांग संख्या 26, पर्यटन से संबंधित मांग संख्या 37 एवं राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर सर्वश्री मोहम्मद अकबर, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, (डॉ.) शक्राजीत नायक, रामदेव राम, अग्नि चंद्राकर, ह्दयराम राठिया, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री दूजराम बौद्ध **मांग संख्या-67 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, रामदेव राम, ह्दयराम राठिया, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री दूजराम बौद्ध **मांग संख्या-27 पर** श्री रविन्द्र चौबे, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री रामदेव राम, अग्नि चंद्राकर, ह्दयराम राठिया, दूजराम बौद्ध, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. शक्राजीत नायक **मांग संख्या-26 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.शक्राजीत नायक **मांग संख्या-37 पर** श्री अग्नि चंद्राकर, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर) पीठासीन हुईं।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-
सर्वश्री देवजी पटेल, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, संतोष बाफना,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सायं 6.30 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.शिवकुमार डहरिया,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री ब्रह्मानंद, (महंत रामसुंदर दास-अनुपस्थित), देवेन्द्र बहादुर सिंह, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की गई।)

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर।

सायं 6.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 22 मार्च, 2012 (चैत्र 2, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा